https://legalaffairs.gov.in/About-us/Section-Division/

7. केंद्रीय एजेंसी अनुभाग (सीएएस) की स्थापना वर्ष 1950 में हुई थी। यह कार्यालय केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों की ओर से तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मुकदमेबाजी के संचालन के लिए जिम्मेदार है। , भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय और सीएजी के तहत सभी क्षेत्रीय कार्यालय अर्थात महालेखाकार कार्यालय। भारत संघ की ओर से सभी विशेष अनुमति याचिकाएं/दीवानी अपीलें केंद्रीय एजेंसी अनुभाग के माध्यम से भारत के सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका/नागरिक अपील दायर करने की व्यवहार्यता पर विधि अधिकारियों की राय प्राप्त करने के बाद दायर की जाती हैं। इस कार्यालय की देखरेख वर्तमान में एक अतिरिक्त सचिव द्वारा की जाती है; जिन्हें इस कार्यालय का प्रभारी घोषित किया गया है और विभागाध्यक्ष की शक्ति प्रत्यायोजित की गई है। उन्हें नियमित आधार पर 08 सरकारी अधिवक्ता और अनुबंध के आधार पर 01 एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड और अन्य राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मचारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। 08.3.2022 को सरकारी पैनल में 11 विधि अधिकारी और 813 अधिवक्ता हैं। केंद्रीय एजेंसी अनुभाग सुप्रीम कोर्ट कंपाउंड, नई दिल्ली से कार्य करता है।

केंद्रीय एजेंसी अनुभाग की गतिविधियां निम्नलिखित से संबंधित हैं:

- भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के संदर्भ विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय के माध्यम से अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की राय प्राप्त करने के लिए प्राप्त होते हैं।
- विभिन्न मामलों के लिए विधि अधिकारियों/अनुमोदित पैनल परामर्शदाताओं की नियुक्ति।
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत संघ/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश तथा सीएजी की ओर से मुकदमेबाजी का संचालन और पर्यवेक्षण।
- अभिलेखों का पर्यवेक्षण, आर एंड आई अनुभाग, शुल्क बिल इकाइयां, कंप्यूटर सेल और प्रशासन प्रभाग जिसमें नकद अनुभाग भी शामिल है।

<u>प्रशासन अनुभाग</u>

i. सीएएस अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा से संबंधित सभी मामले।

ii. सीएएस स्टाफ के संबंध में सेवा पुस्तिकाओं का रखरखाव/पूरा करना।

iii. वेतन और भत्तों, वेतन वृद्धि और छुट्टी से संबंधित सभी मामले।

iv. सीएएस के अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में पोस्टिंग/स्थानांतरण आदेश जारी करना।

v. चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति, एलटीसी, अवकाश नकदीकरण, जीपीएफ आदि।

vi. सरकारी कर्मचारी को नियम के तहत स्वीकार्य अन्य सभी दावों की प्रतिपूर्ति।

<u>सरकारी अधिवक्ताओं की अध्यक्षता वाली मुकदमा इकाइयां</u>

1. संबंधित विभागों/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मामलों से निपटने वाले अधीक्षक (विधि)/सहायक (विधि) के कार्य का पर्यवेक्षण और समन्वय।

2. लेखा एवं बजट सहित समस्त प्रशासनिक कार्य।

3. टाइपिंग पूल।

4. पुस्तकालय।

5. संक्षिप्त विवरण आदि के प्रेषण सहित रसीदें और प्रेषण।

6. व्यक्तिगत बही खातों के रखरखाव सहित आहरण और संवितरण अधिकारियों के कर्तव्य।

7. रेलवे को छोड़कर केंद्र सरकार और अन्य भाग लेने वाले विभागों/राज्यों से संबंधित काउंसलों के शुल्क बिलों का भुगतान।

अधीक्षक (विधि)/सहायक (विधि) के कार्यों का पर्यवेक्षण, संवीक्षा और समन्वय :

i) सीबीडीटी, सीबीआईसी और रेलवे मामलों सहित भारत संघ के मामले।

ii) संघ रिट याचिकाएं।

iii) केंद्र शासित प्रदेशों के मामले।

iv) भाग लेने वाले राज्यों के मामले।

v) अन्य राज्यों के मामलों का संचालन; समय-समय पर सौंपे गए कार्य।

vi) सीबीआई के मामले

I. लागत, संवीक्षा आदि के बिलों के रजिस्टरों की जाँच करना।

II. दैनिक कार्यवाही रजिस्टर, दोष रजिस्टर।

III. काउंसेल शुल्क रजिस्टर आदि।

IV. कोर्ट ड्यूटी पर कोर्ट क्लर्कों का पर्यवेक्षण।

V. रिकॉर्ड रूम और ब्रीफ तैयार करना।

VI. सुप्रीम कोर्ट के रजिस्टर में मामले।